

परिषिका ३।
[२८/१२/२०२०]
अलारा १०४ ६८७

प्रश्न सं. [क. 687]



इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2011—पौष 6, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

आधिकारिक नं. 64-एफ-1-19-2009-अस्ट्रो-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 में नगर परिषद के लिए संक्रमणशील क्षेत्र तथा नगरपालिका के लिये लघुतर नगरीय क्षेत्र एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम, 1956 की धारा 7 में नगर नियमों के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के गठन का प्रावधान है।

2. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नगर परिषद्/नगरपालिका/नगर नियम के गठन का मापदण्ड जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

नगर परिषद्	—	20,000 से अधिक 50,000 से कम जनसंख्या
नगरपालिका	—	50,000 से अधिक 3,00,000 से कम जनसंख्या
नगर पालिका नियम	—	3,00,000 से अधिक जनसंख्या


इसके अतिरिक्त संक्रमणशील क्षेत्र के गठन हेतु निम्न मापदण्डों की पूर्ति भी आवश्यक है:—

- जनसंख्या 20 हजार से कम न हो। इसमें से जनसंख्या का 60 प्रतिशत सधन जनसंख्या हो।
- प्रकरणाधीन निकाय में कृषि इतर गतिविधियाँ संचालित हो तथा इन गतिविधियों में 50 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत हों।
- परिवर्तीत होने वाली निकाय का स्वयं का राजस्व कम से कम 10 लाख प्रतिवर्ष हो।
- प्रकरणाधीन निकाय में स्थित कुल भवनों में से 30 प्रतिशत भवन संपत्तिकर की परिधि में आते हों अर्थात् इनका वार्षिक भाड़ा मूल्य 4800.00 रुपये से कम न हो।
- प्रकरणाधीन निकाय के पूरे क्षेत्र में जल प्रदाय किया जा रहा हो।
- प्रकरणाधीन निकाय में लगे वाले बाजार, घण्टा बाजार, आस-पास की अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक राजस्व देने वाले हों।
- ग्राम पंचायत का स्वयं का भवन होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी बैठ सकें और 15 पार्श्व बैठक कर सकें।
- प्रकरणाधीन निकाय में कुल सड़कों की लम्बाई की 30 प्रतिशत सड़कें/गालियाँ पवकी होना चाहिए।
- विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत निकाय के अधिकतर क्षेत्र में विद्युत खम्बे स्थापित हों।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव,

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा सेक्षन शासकीय, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से भूद्वित तथा प्रकाशित—2011.


अनुभाव अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आबास विभाग